



GOVERNMENT BILASA GIRLS' P.G. COLLEGE BILASPUR (C.G.)

NAAC "B+"

Website-<http://bilasagirlscollege.ac.in>

email-bilasagirlscollege_bilasapur@rediffmail.com

Ph No./Fax-07752-224249

7.1.1 - Measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity during the year

GENDER SENSITIZATION ACTION PLAN

The institution ensures gender equality in both academic and non-academic activities,

In the recent years, there has been a growing recognition of the importance of addressing gender in academic settings and incorporating gender perspectives across various disciplines. Therefore, the concept of gender and related perspectives are introduced into the curriculum and dealt with in different courses under UG and PG programmes. Additionally, the institution takes steps to raise awareness and sensitivity among students and staff through annual awareness programmes. The teaching departments collaborate with the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) to organize joint initiatives involving the National Cadet Corps (NCC), National Service Scheme (NSS), and other committees within the college.

Action	Organised by	Tentative Schedule
Have meetings of Anti Harassment cell, Grievance cell, Anti-Ragging cell to monitor gender equality in the Institution	IQAC and Conveners of each Committee	Two meetings per semester
Organize programs towards gender sensitization and prevention of gender discrimination	IQAC and Women Cell	At least one programme per Semester
Promote concepts of gender equality through awareness of Human rights (special emphasis to Rights of Women)	NCC, and NSS	At least one awareness programme by each
Promotion of Women Entrepreneur skills	Dept. of Commerce and Management Studies	At least one programm

The College prioritizes the safety and security of women staff and students, offering specific facilities to meet their needs. These provisions include:

- i) CCTV surveillance across the entire campus, with a particular focus on ensuring the safety of women staff and students.
- ii) A dedicated NCC wing for girls, promotes a sense of independence and self-reliance among female students, empowering them to take responsibility for their personal development.
- iii) The NSS (National Service Scheme) of the College consists of two units, with a mandatory requirement of having a women faculty member as the Programme Officer. This ensures students' active participation and engagement in community service activities.
- iv) Residential hostel facilities are available for students and staff, providing a secure and comfortable living environment on campus.

a. Counselling

The need for a supportive counselling system is inevitable as far as every institution is Concerned. The faculty member of the Department of Psychology serves as councillor, the rising mental health needs and offers counselling to students.

- i) Conducting assessments to evaluate various psychological aspects, including cognitive abilities, personality traits, aptitude, and other areas of interest.
- ii) Offering specialized counselling services to students, specifically addressing relationship issues, academic-related stress, adolescent psychological challenges, sexual functioning and awareness, and related matters.
- iii) Implementing life skills training programs for girl students, focusing on the development of life skills. These skills include self-awareness, decision-making, problem-solving, creative thinking, critical thinking, effective communication, interpersonal relationships, coping with stress, empathy, and managing emotions.

The Counselling Centre aims to support girl students in enhancing their psychological well-being, empowering them to navigate various challenges, and equipping them with essential life skills for personal and academic success.

Awareness program- One Day Workshop by the department of Home science

आत्महत्या संरक्षण विषय पर कार्यशाला



इवनिंग टाइम्स

बिलासपुर। शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में डीएमएचपी बिलासपुर एवं गृह विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विषय आत्महत्या संरक्षण पर किया गया। कार्यशाला में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एस आर कमलेश द्वारा आत्महत्या के सामाजिक पहलू के संबंध में अपने विचार रखे विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ सीमा मिश्रा ने आत्महत्या की प्रवृत्ति एवं सीरम कोलेस्ट्रॉल के आपसी संबंध के बारे में बताया। कार्यक्रम में श्री

प्रसाद पांडे ने विषय संबंधी विभिन्न पहलुओं पर रोचक जानकारी दी एवं व्यावहारिक एवं विषय में विस्तार से बताया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहे। विषयों पर खूब रूचि ली एवं अपनी आकांक्षाओं एवं प्रश्नों का समाधान भी पूछे। कार्यक्रम में डॉ अर्चना दीक्षित डॉ सुषमा घई मनीषा शुक्ला गार्गी शुक्ला पूजा यादव रीता शर्मा रितिका गुप्ता सुमन पटेल रितु आकांक्षा कुचूर एवं प्रवीण कौर विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कार्यशाला का संचालन डॉ प्रतिभा बाजपेई द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ सुषमा घई द्वारा किया गया।

Health Checkup Camp

शिविर में 700 छात्राओं ने उठाया स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श का लाभ

लोकस्वर मीडिया नेटवर्क

lokswar.in

बिलासपुर। शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर की यूथ रेड क्रॉस सोसायटी के तत्वावधान में आज 27 मार्च को स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सक्षम एनजीओ एवं आईएमओ बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरएस कमलेश के द्वारा किया गया। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर को छात्राओं के हित में बताते हुए इसका अधिक से अधिक लाभ लेने हेतु उत्प्रेरित किया। शिविर में शहर के विशेषज्ञ चिकित्सक, डा प्रशान्त द्विवेदी, डा शशिकांत साहू, डॉ. केके साव ने छात्राओं को अपने व्याख्यान के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया एवं उनकी स्वास्थ्यगत समस्याओं का समाधान किया। शिविर में स्त्री रोग



विशेषज्ञ डॉ. नम्रता सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपिका, दंत चिकित्सक डॉ. दिव्या साव एवं उनकी टीम परामर्श हेतु उपस्थित रहे। स्वास्थ्य शिविर में महाविद्यालय के प्राध्यापक, कमचारीगण एवं छात्राओं का नेत्र एवं दांत परीक्षण किया गया। लगभग 700 छात्राओं ने स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श का

लाभ उठाया। कार्यक्रम में यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी की संयोजक डॉ मीना क्षेत्रपाल, सदस्य डॉ आशा कबीर, डॉक्टर शैलजा जोगी, डॉक्टर सुषण उदय, डॉ संगीता शुक्ला एवं महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक सक्षम एनजीओ के शेफाली घोष, निर्मल घोष एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।



Health Checkup Camp – Organised by Youth Red Cross Society and NSS Units



b. Common rooms:


The campus provides dedicated common rooms for girls, which serve as spaces for recreation and lunch. These common rooms are specifically designed for female students and are equipped with attached washrooms. Additionally, there is a recreation room available offering a stress-free environment. Guidelines regarding anti – ragging has been displayed in college for safety of the new students and to maintain the discipline among the students.


छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नवीन अधिनियम
छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना
(रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001

(दिनांक 17 जनवरी, 2002) को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति छत्तीसगढ़ शासन राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 17 जनवरी, 2002 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।
राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उससे संबंधित मामलों और आनुमतिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 है।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।
(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- परिभाषाएँ** - इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) 'रैगिंग' से अभिप्रेत है किसी छात्र को भ्रूणवत्कपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध या गंजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या अपमान अतिदर्शित होता हो, या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रवृत्त करना आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक घमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।
(ख) 'शैक्षणिक संस्था' से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।
- रैगिंग का प्रतिषेध** - किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।
- दण्ड** - यदि कोई व्यक्ति धारा 3 उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये बुध्दिरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
- अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होना** - इस अधिनियम के अधीन के प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।
- अपराधों का विचारण** - (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- छात्र के निष्कारण के लिये निर्याग्यता** - (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण नहित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभिलुप्त छात्र को निर्यात करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।
(2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो धारा 4 के अधीन सिद्धदोष पाया

 GPS Map Camera



sanganj

Google

Masanganj, Chhattisgarh, India

34JW+6J6, Satyam Talkies Chowk Rd, Near Ambedkar Chowk, Ambedkar Nagar, Masanganj, Chhattisgarh 495001, India

Lat 22.080499°
Long 82.14678°
31/05/22 12:15 PM

Undertaking was taken by the student at the time of admission in the prescribed format by UGC Draft Regulations on curbing the menace of Ragging

UGC Draft Regulations on Curbing the Menace of Ragging

In Higher Educational Institutions, 2009

Annex-I (Part-I)

Format of Undertaking to be given by the student

1. I, KAJAL KUSHWAHA S/o. D/o. Mr./ Mrs. RAMKUMAR KUSHWAHA have carefully read and fully understood the law prohibiting ragging and the directions of the Supreme Court and the Central/State Government in this regard.

2. I have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institution, 2009.

3. I hereby undertake that

a. I will not indulge in any behaviour or act that may come under the definition of ragging,

b. I will not participate in or abet or propagate ragging in any form,

c. I will not hurt anyone physically or psychologically or cause any other harm.

4. I hereby agree that if found guilty of any aspect of ragging, I may be punished as per the provisions of the of the UGC Regulations mentioned above and/ or as per the law in force.

Signed this on _____ (date/month/year)

Signature

Name: KAJAL KUSHWAHA *Kajal Kushwaha*

Mobile: 9644901341

Address: GRAM MENDRA POST SAIDA, Bilaspur 495001

U.G.C.

छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा -

1. मैं VASUNDHARA PAINKRA, पुत्र/पुत्री श्री BANDHU SAI PAINKRA ने केन्द्र/राज्य सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों तथा रेगिंग को प्रतिबंधित करने वाले कानून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है।
2. उच्च शिक्षण संस्थानों में रेगिंग के खतरे को नियंत्रित करने संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश- 2009 की प्रति प्राप्त कर ली है।
3. मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि-
 - (अ) मैं, ऐसे किसी कृत्य जो रेगिंग की परिभाषा में आता है, में संलिप्त नहीं होऊँगा/ होऊँगी।
 - (ब) मैं, किसी भी रूप में रेगिंग में न ही सम्मिलित होऊँगा/होऊँगी, न ही इसे प्रोत्साहित/प्रचारित करूँगा/करूँगी।
 - (स) मैं, न तो शारीरिक या मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करूँगा/करूँगी न ही किसी अन्य तरह की हानि पहुँचाऊँगा/पहुँचाऊँगी।
4. मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि यदि मैं, रेगिंग के किसी भी पक्ष का दोषी/की दोषी पाया जाता हूँ/पायी जाती हूँ, तो मुझे उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार दंडित किया जा सकता है।


अभिभावक द्वारा घोषणा -

1. मैं BANDHU SAI PAINKRA, पिता/माता/संरक्षक (छात्र/छात्रा), ने केन्द्र/राज्य सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगिंग के खतरों को नियंत्रित करने संबंधित विनियम- 2009 को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है।
2. मैं आश्वासन देता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/प्रतिपालित रेगिंग के किसी कृत्य में संलिप्त नहीं होगा/होगी तथा उपरोक्त वर्णित विनियमों का पालन करेगा/करेगी।

अभिभावक के हस्ताक्षर BANDHU SAI

Vasundhara

CCTV SURVIELENCE



Principal
Govt. Bilasa Girls P.G.
College
(Autonomous) (C.G.)
Bilaspur (C.G.)